

04 जनवरी, 2019

प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 'महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना 2019' पर विशेष एसएलबीसी बैठक का आयोजन



(फोटो कैप्शन: श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र विशेष एसएलबीसी बैठक में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे का सम्मान करते हुए। श्री अजीत पवार, माननीय उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र भी बैठक में उपस्थित थे।)

पुणे, 4 जनवरी, 2020: महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना 2019 के कार्यान्वयन पर 03 जनवरी, 2019 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संयोजक एसएलबीसी, महाराष्ट्र राज्य ने मंत्रालय, मुंबई में एक विशेष एसएलबीसी बैठक का आयोजन किया, इस बैठक में योजना की कार्य पद्धतियों पर चर्चा की गई।

श्री उद्धव ठाकरे, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री अजीत पवार, माननीय उप मुख्यमंत्री और श्री जयंत पाटिल, माननीय कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र भी इस बैठक में उपस्थित थे। श्री अजोय मेहता, मुख्य सचिव, श्री देबाशीष चक्रबोर्ती, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, श्री मनोज सौनिक, सचिव, वित्त, श्रीमती आभा शुक्ला, प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, महाराष्ट्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और सदस्य बैंकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अध्यक्ष, एसएलबीसी ने इस अवसर पर सभी उपस्थित गणमान्य का स्वागत और सम्मान किया। इस विशेष एसएलबीसी का आयोजन महाराष्ट्र सरकार द्वारा 27 दिसंबर, 2019 को आरंभ की गई ऋण राहत योजना 'महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना 2019' की कार्यपद्धतियों और योजना के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका पर चर्चा करने के लिए किया गया।

'महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना 2019' के अंतर्गत 01.04.2015 से 31.03.2019 के दौरान संवितरित और रु.2 लाख तक अतिदेय (मूलधन + ब्याज) व दिनांक 30.09.2019 तक अदत्त रहे तथा मध्यावधि (पुनर्गठित ऋण) फसल ऋण के रूप में परिवर्तित हुए पुनर्गठित अल्पावधि फसल ऋण और अल्पावधि फसल ऋण (मौसमी फसल ऋण और केसीसी के अंतर्गत ऋण) 'महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना 2019' के अंतर्गत छूट योजना हेतु पात्र हैं।